

॥ संघे शक्ति कलयुगे ॥

# राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़

पंजी. क्र. : 122201889278 दिनांक 21.08.2021

(शासन से मान्यता प्राप्त)

**भागवत कश्यप**  
प्रांताध्यक्ष



कार्यालय एवं निवास :  
ग्राम - छिटकाकानी , पोस्ट - जुर्डा  
तहसील - रायगढ़ जिला- रायगढ़ (छ.ग.)  
मौ :- 9302677805  
Email- baba2007k@gmail.com

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष

ज्योतिष सर्वे

उपप्रांताध्यक्ष -

टी.पी. पाण्डेय , फारुख जावेद,  
भीषम ठाकुर , प्रमोद टण्डन  
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह

**अध्यक्ष कश्यप**

शिवकुमार साहू

महामंत्री

राजेश वंजारी,

कोषाध्यक्ष

सतीश चन्द्राकर

सह सचिव -

इंद्रदेव कश्यप,

बृजेश सिंह राजपूत, चंचल मिरी

संगठन मंत्री -

दानी सिंह ठाकुर , सुमेद गोडबोले

सत्यनारायण चादव,

अभिषेक माली

प्रचार मंत्री -

शैलेश मेहता, अरविन्द्र मरावी,

श्वेता वैष्णव , यशवंत देवांगन,

विष्णु मरकाम

संयोजक

रत्नेश सिंह भदौरिया

प्रांतीय प्रवक्ता

वीरेन्द्र कुमार बैस

संरक्षक

कृष्ण कुमार मिरी

क/

/रा.प.स.

दिनांक.....

प्रति

श्रीमान सचिव महोदय

राजस्व एवं आपदा प्रवन्धन विभाग

छत्तीसगढ़

विषय :- पटवारियों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में।  
महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विभिन्न मांगो एवं समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा समय समय पर आपसे पत्राचार कर निवेदन करते आया है। मांगो को लेकर दिसम्बर 2020 में संघ द्वारा विभिन्न चरणों में आन्दोलन भी किया गया था ,जिस पर माननीय राजस्व मंत्री जी के आश्वासन पर आन्दोलन स्थगित किया गया था ,कुछ मांगो को जैसे स्टेशनरी भत्ता नेट भत्ता आदि को वर्ष 2021 में स्वीकृत भी किया गया था किन्तु खेद का विषय है कि आज पर्यन्त पटवारियों की समस्याओं और मांगो का उचित निराकरण नहीं जा सका है |जिसमे प्रदेश के पटवारीयो में भारी रोष व्याप्त है |

हमारी प्रमुख मांगे निम्नानुसार है :-

1 वेतन विसंगति दूर करते हुए वेतन में बढ़ोतरी किया जावे :-

प्रदेश के पटवारियों द्वारा विभागीय कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिए मौखिक /लिखित आदेशो का पालन ईमानदारी पूर्वक किया जा रहा है |निर्वाचन ,जमशानना ,बाढ़ आपदा ,सुखा ,राजस्व वसूली ,प्रोटोकाल झूठी जनसमस्या निवारण विधियों में आवश्यक व्यवस्था के साथ साथ प्राप्त विभागीय निर्देशनों का समय पर निराकरण ,शासन की जनकल्याणकारी योजनाओ में सहभागिता आदि कार्यों का संपादन विभागीय कार्य जैसे गिरदावरी ,अभिलेख अद्यतन

19/11/23  
कार्यालय सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
एवं आयुक्त, राहत एवं पुनर्वसन

आवक शाखा

आयुक्त भू अभिलेख  
अटल नगर, रायपुर

आमान्य प्रशासन एवं जन शिकायत निवारण विभाग के हापन क्र. 67/ ज.शि.नि.प्र.सा.प्र.वि./2002 रायपुर दिनांक 08/01/2012 एवं सेवा संघ नियम 1967 के नियम 3 के अंतर्गत पत्रों का उत्तर देना अनिवार्य है ।

॥ संघे शक्ति कलयुगे ॥

# राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़

पंजी.क. : 12201889278 दिनांक 21.08.2021

(शासन से मान्यता प्राप्त)

**भागवत कश्यप**  
प्रांताध्यक्ष



कार्यालय एवं निवास :

ग्राम -चिटकाकानी ,पोस्ट- जुई  
तहसील - रायगढ़ जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

मों :- 9302677805

Email- baba2007k@gmail.com

क/ / रा.प.स.

दिनांक.....

**कार्यकारी प्रांताध्यक्ष**

ज्योतिष सर्वे

उपप्रांताध्यक्ष

टी.पी. पाण्डेय , फारुख जावेद,

भीषम ठाकूर , प्रमोद टण्डन

देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह

**सचिव**

शिखरकुमार साहू

महामंत्री

राजेश वंजारी,

**कोषाध्यक्ष**

सतीश चन्द्राकर

**सह सचिव -**

इंद्रदेव कश्यप,

बृजेश सिंह राजपूत, चंचल मिरी

**संगठन मंत्री -**

दानी सिंह ठाकूर , सुमेद गोडबोले

सत्यनारायण यादव,

अभिषेक माली

**प्रचार मंत्री -**

शैलेश मेहता, अरविन्द्र मरावी,

श्वेता वैष्णव ,यशवंत देवांगन,

विष्णु मरकाम

**संयोजक**

रत्नेश सिंह भदौरिया

**प्रांतीय प्रवक्ता**

वीरेन्द्र कुमार बैस

**संरक्षक**

कृष्ण कुमार मिरी

नकशा बटाकन ,सीमांकन,आवादी सर्वे के साथ साथ किया जा रहा है ,न सिर्फ इतना ही वक्तिक आवश्यक व्यवस्था हेतु मेला में ,मंदिरों में ,अन्य बड़े आयोजनों में भी पटवारियों का झूटी लगाई जाती है | कार्य की अधिकता को देखते हुए पटवारियों का ग्रेड पे 2800 किया जाये |

## 2 वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति :-

राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती पर रोक लगाया जाये | राजस्व निरीक्षक के वृत्त पदों के 50% पर पटवारियों से वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50% पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति किया जाये |

5 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी पटवारियों को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण दिनाया जाये |प्रशिक्षित पटवारियों से ही रिक्त पदों के 50% पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया जाये |उपरोक्तानुसार भर्ती नियम में आवश्यक संशोधन किया जाये |

साथ ही राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा नियमित रूप से आयोजित किया जाये |

## 3 संसाधन एवं भत्ते :-

वर्तमान में भूमि में संबंधित अभिलेख ऑनलाइन किया जा चुका है |अभिलेखों वा दुरुस्ती,नामान्तरण/बटवारा में आवश्यक प्रतिवेदन ,नकशा बटाकन आदि ऑनलाइन ही किया जा रहा है |जिमके लिए कंप्यूटर ,इन्टरनेट ,प्रिंटर ,स्कैनर आदि की आवश्यकता पतती है |किन्तु दुखद है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना भुइयाँ कार्यक्रम के सकल मंचरण हेतु पटवारियों को आज पर्यन्त आवश्यक संसाधन नहीं दिया गया है | अतः पटवारियों को ऑनलाइन कार्य हेतु कंप्यूटर/लैपटॉप प्रदान किया जाये ,साथ ही इन्टरनेट हेतु 500 रु मासिक नेट भत्ता दिया जाये |

॥ संघे शक्ति कलयुगे ॥

# राजस्व पटवारी संघ उत्तीसगढ़

पंजी. क्र. : 12201889278 दिनांक 21.08.2021

(शासन से मान्यता प्राप्त)

**आगवत कश्यप**  
प्रंताध्यक्ष



कार्यालय एवं निवास :  
ग्राम - चिटकाकानी, पोस्ट - दुर्गा -  
तहसील - रायगढ़ जिला - रायगढ़ (उ.प्र.)  
मौ :- 9302677805  
Email- baba2007k@gmail.com

क/ / रा.प.स.

दिनांक .....

कार्यकारी प्रंताध्यक्ष

ज्योतिष सर्वे

उप-प्रंताध्यक्ष -

टी.पी. पाण्डेय, चारुच जावेद,  
भीषम ठाकूर, प्रमोद टण्डन  
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह

सचिव

शिकुमार साहू

सहसचिव

राजेश बंजारी,

व्योवाध्यक्ष

सतीश चन्द्राकर

सह सचिव -

इंद्रदेव कश्यप,

वृजेश सिंह राजपूत, चंचल मिरी

संगठन मंत्री -

दानी सिंह ठाकूर, सुमेद गोडबोले

सत्यनारायण यादव,

अभिवेक वाली

प्रचार मंत्री -

शोभा मेहता, अरविन्द्र मराठी,

स्वेता वैष्णव, रसावता देवांगन,

विष्णु मरकाम

संयोजक

रत्नेश सिंह भदौरिया

प्रंतीय प्रवक्ता

वीरेन्द्र कुमार वैस

संरक्षक

कृष्ण कुमार मिरी

वर्तमान में वहुत से नये हल्कों का गठन किया गया है |जहां पटवारियों को कार्यालय तो दूर मूल भुत सुविधाएं जैसे टेबल कुर्सी पंखा अलमीरा भी नहीं दिया गया है |किराये के मकान में स्वयं के संसाधन से कार्यालय चलाने में मजबूर है |अतः प्रत्येक पटवारी हल्के में पटवारी कार्यालय एवं आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था किया जाये |

#### 4 स्टेशनरी भत्ता :-

पटवारियों को वर्तमान में 250 रु प्रति माह की दर से स्टेशनरी भत्ता दिया जा रहा है जिसका निर्धारण लगभग 10 वर्ष पूर्व किया गया था ,वहते महंगाई के साथ साथ स्टेशनरी के दगरे में भी वृद्धि हुआ है अतः स्टेशनरी भत्ता 1000 रु प्रति माह दिया जाये |यह भत्ता प्रतिवर्ष बढ़ाया जाये |

#### 5 अतिरिक्त प्रभार के हल्के का भत्ता :-

पटवारियों के लिए अतिरिक्त हल्के का प्रभार हेतु 250 रु निर्धारित है जबकि कार्य मूल हल्के के सामान ही किया जाता है ,अतः नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए अतिरिक्त हल्के का मानदेय मूल वेतन का 50% प्रतिशत किया जाये |

#### 6 पटवारी भर्ती हेतु योग्यता स्नातक किया जाये :-

पटवारी भर्ती नियम में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ कंप्यूटर आवश्यक किया गया है |वर्तमान में भुइयां एवं भू तकशा सॉफ्टवेयर का संचालन जैसे तकनीकी कार्य साथ ही वहुते टेक्नोलॉजी के साथ आवादी सर्वे आदि कार्यों को देखते हुए पटवारियों की भर्ती नियम में आवश्यक संशोधन करते हुए न्यूनतम योग्यता स्नातक किया जाये |

#### 7 मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त हो :-

वर्तमान में हल्के मुख्यालय से तहसील या जिला मुख्यालय तक आवागमन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो चुकी है |साथ ही हल्कों का आकार भी कम हो चुका है (एक हल्के में अधिकतम 2 पचायत )| साथ ही अधिकांश कार्य ऑनलाइन हो चुका है

॥ संघे शक्ति कलयुगे ॥

# राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़

पंजी.क.: 12201889278 दिनांक 21.08.2021

(शासन से मान्यता प्राप्त)



**भाजवत कश्यप**  
प्रांताध्यक्ष

कार्यालय एवं निवास :  
ग्राम - चिटकाकानी, पोस्ट - जुडा  
तहसील - रायगढ़ जिला - रायगढ़ (छ.ग.)  
मों :- 9302677805  
Email- baba2007k@gmail.com

क/ / रा.प.स.

दिनांक .....

**कार्यकारी प्रांताध्यक्ष**  
ज्योतिष सर्वे  
उपप्रांताध्यक्ष -  
डी.पी. पाण्डेय, फारुख जावेद,  
भीषम ठाकुर, प्रमोद टण्डन  
देवेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र पाल सिंह  
**सचिव**  
शिवकुमार साह  
**सहायत्री**  
राजेश हंजारी,  
**कोषाध्यक्ष**  
सतीश चन्द्राकर  
**सह सचिव**  
इंद्रदेव कश्यप,  
बृजेश सिंह राजपूत, चंचल मिरी  
**संगठन मंत्री**  
दानी सिंह ठाकुर, सुभेद गोडबोले  
सत्यनारायण यादव,  
अभिलेख माली  
**प्रचार मंत्री**  
शैलेश भेड़ता, अरविन्द्र मराठी,  
श्वेता वैष्णव, यशवंत देवांगन,  
त्रिज्यु मरकाम  
**संयोजक**  
रत्नेश सिंह भदौरिया  
**प्रांतीय प्रवक्ता**  
वीरेन्द्र कुमार बैस  
**संरक्षक**  
कृष्ण कुमार मिरी

जो इंटरनेट सुविधा युक्त जगह में ही संभव है। अतः पटवारियों के नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए मुख्यालय निवास की वाध्यता को समाप्त किया जाये।

**8 बिना विभागीय जाच के एफ.आई.आर. दर्ज न हो :-**

पटवारियों के द्वारा कार्य सम्पादन करते समय यदि लिपिकीय त्रुटी या इसके अतिरिक्त कागजात संधारण करने में कोई भूल हो जाये ऐसी स्थिति में विभागीय जाच उपरांत ही एफ आई आर की कार्यवाही होनी चाहिए। शासन से स्पष्ट निर्देश जारी हो वी जाच तक विभागीय जाच पूर्ण न हो जाये तब तक प्रारम्भिक एफ आई आर दर्ज न हो।

माननीय महोदय जी मे राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ निवेदन करता है कि उपरोक्त समस्त मांगो पर महानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र आदेश प्रसारित करने की कृपा करे। मांग पूरी नही होने की दशा में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ पूर्व में स्थित हडताल को विभिन्न चरणों में पुनः प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होंगे। आन्दोलन की प्रथम चरण की शुरुवात एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर प्रान्तव्यापी धरना प्रदर्शन एवं रैली दिनांक 24/04/2023 स्थान रायपुर से किया जायेगा।

मादर .....

**प्रांतीय सचिव**  
राजस्व पटवारी संघ छ.ग.  
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़

प्रतिनिधि :-

1 श्रीमान संचालक महोदय, भू अभिलेख नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को मादर सूचनार्थ